न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 135/2018 प्रार्थना पत्र

श्यामुबाई पुत्री घीसूलाल जी एंव पत्नि भोजराज जी जाति ब्राहम्ण आयु व्यस्क निवासी बोराखेडी त0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़

– प्रार्थीगण

//बनाम//

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।
नगरपालिका निम्बाहेड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निम्बाहेड़ा

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और सेः– अधिवक्ता जगदीश चन्द्र मेनारिया उपस्थित

आदेश

दिनांकः– 31.5.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बोराखेडी पटवार हल्का बडोली माधोसिंह त0 निम्बाहेड़ा की नये खाता संख्या 330 आराजी नं. 274 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1093/274 रकबा 0.0500 हे0, जिसके पुराने आराजी न0 572/201 रकबा 5 बीस्वा भूमि प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की हैं । साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं । प्रार्थना पत्र की कलम न0 1 में वर्णित आराजीयात सेटलमेंट से पूर्व साबिक आराजी न0 572/201 रकबा 5 बिस्वा थें जिसका पूर्वी भाग सेटलमेंट से पूर्व पुराने नक्शे में साबिक आरजी न0 200 बिलानाम रास्ता से लगी हुई थी किन्तु सेटेलमेंट अधिकारियों द्वारा अपने मन से व अपने आधिकारों का दुरूपयोग करते हुवे बिना किसी हक अधिकार के गलत तरीके से राजस्व नक्शें में गलत रूप से कर दी गई, राजस्व कर्मचारियों की गलती से आराजी न0 274 की तरमीम बिलानाम रास्ते से लगीइ हुई को हटाकर पश्चिम दिशा में विपक्षी न0 2 नगर पालिका निम्बाहेड़ा की आराजी के राजस्व नक्शें में लगत रूप से तरमीम कर दी हैं । प्रार्थीया उक्त तरमीम को दुरूस्त करवाने की अधिकारी हैं । वर्तमान में नये सेटलमेंट होने के बाद प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजीयात जो पुराने नक्षा ट्रेस में सही रूप से तरमीम थी परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीत कर दिया हैं । जहा पर प्रार्थीया काबिज हैं वहां पर प्रार्थीया का नक्शा ट्रेस में अंकन सही रूप से नही किया है तथा प्रार्थीया की खातेदारी व कब्यज शुदा आराजी जिसके पुराने आराजी नम्बरान को नवीन नक्षा ट्रेस में

गलत रूप से विपक्षी न0 2 के राजस्व नक्शे में तरमीम कर दिया हैं , जबकि प्रार्थीया का मौके पर अपने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार मौके पर शान्तिपूर्ण रूप से कब्जा चला आ रहा हैं । उक्त आराजीयात को नवीन नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से सेटलमेंट में नक्शा ट्रेस में गलत अंकन कर तरमीम कर दिया हैं तथा उक्त नक्शा ट्रेस में अंकन पूर्व साबिक आराजी के राजस्व नक्शे अनुसार नही किया हैं । इसीलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीया के मौके पर काबिज अनुसार एंव पूर्व काबिज आराजी के राजस्व नक्शे अनुसार अंकन कर नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरस्ती किया जाना न्यायहीत में आवश्यक हैं ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट अनुसार बडोली माधोसिंह त0 निम्बाहेड़ा की गत भू प्रबंध आ0न0 572/201 रकबा 5 बिस्वा के हाल भूल प्रबंध आ0न0 274 रकबा 0.06 हे0 के पूर्व में रास्ता आ0न0 272 होकर आ0न0 गत भू प्रबंध की गलती से हाल आ0न0 274 के व रास्ता बीच आ0न0 हाल 273 का रकबा भी तरमीम हो गया जो गलत हैं । आ0न0 हाल 274 की तरमीम रास्ता आ0न0 272 तक किया जाना व बीच में से आ0न0 273 की तरमीम हटाया जाना रिकार्ड अनुसार शुद्ध एंव उचित होगा । रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत हैं ।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान पुराने रिकार्ड का नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये हैं किन्तु प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का नवीन व पुराने रिकार्ड में अंतर नही हैं । साथ ही प्रार्थी द्वारा संशोधन सम्बन्धित सभी दस्तावेंज प्रस्तुत नही किये । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज **कराया गया।**

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा